

राजस्थान सरकार  
 सामान्य प्रशासन (पुरुप-2) विभाग

क्रमांक. एफ.3(1)साप्र/2/2013 पाठे

जयपुर, दिनांक 31 जून 2013

— आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2013 दिनांक 29.1.2013 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी विधियानुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित आवंटित राजकीय आवास का उनके निवास हेतु नियमानुसार कियाये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता हैः—

क्र. सं.	वरिष्ठता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	80/2011	श्रीमती मगता मेहरा व्यारच्याता (राजनीति विज्ञान) शहीद लो० अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	15/68 मालवीय नगर, जयपुर	15/66 मालवीय नगर	31.3.2039

शर्तों—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्ता समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का कियाया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के कियाये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानांतरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रवय तथा पत्नी/वच्छों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. वृृक्क उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(प्र)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान कियाया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सचिवित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान कियाया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजावाने का अग करायें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशापी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्तर जयपुर में ही ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंयं/पति व उन पर आंत्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्भित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

सचिवपाल की आवाज से

(राजीव जैन)  
 संयुक्त शासन समिति

प्रतिलिपि निम्नांकित को भूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्मार्गीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्बद्ध विभाग, गिरी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (पी), मुख्यांग्री कार्यालय, जयपुर।
6. प्रधानमंत्री, शहीद लो० अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
7. कोपाधिकारी, कोप कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. अधिशापी अभियन्ता, साठगिरियो/जन स्वास्थ्यगिरियो/जयपुर विधायिकानगर लिंग, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को गेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार कियाया कटौती की कार्यवाही को सुनिर्दित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्वाचित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संलग्न को भी अगले में लावें।
10. निदेशक, उद्यान विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

11. प्रबन्ध निदेशक, राजकार्म, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सर्जिनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीय नगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश टो शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चक्षा करावें।
13. श्रीमती ममता मेहरा निवासी 15/68 मालवीय नगर, जयपुर को भेज कर लेख है कि कृपया परिवर्तित आवास संख्या 15/68 मालवीय नगर जयपुर का निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिवर्त कर सूचित करावें।
14. शासन सहायक सचिव सामान्य प्रशासन (गुप्त-5) विभाग।
15. निजी सचिव, अति. मु. य सचिव शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

*2-21*  
(मुन्नालील शर्मा) 21.7.13  
शासन सहायक सचिव